

कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 1499-1503 /जी- 78(स्थानान्तरण-2024)/2024-25

दिनांक- 08 जून 2024

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक-05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानानुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चीफ फार्मासिस्टों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चीफ फार्मासिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	रा0आ0चि0 विधान सभा देहरादून	रा0आ0चि0 मनेरी, उत्तरकाशी	जनहित-धारा 7 (क)
2	श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अल्मोड़ा	रा0आ0चि0 खण्डाह, पौड़ी .	अनुरोध धारा 17 (ख)(1)
3	श्रीमती नीतू पँवार	रा0आ0चि0 मनेरी, उत्तरकाशी	आयुष विंग (महिला) जिला चिकित्सालय देहरादून	जनहित में धारा-10(क)
4	श्री चन्द्रशेखर व्यास	आयुष विंग जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी टिहरी	जनहित में धारा-10(क)
5	श्री विनय दरमोड़ा	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चम्पावत	आयुष विंग (पुरुष) जिला चिकित्सालय नैनीताल	जनहित में धारा-10(क)
6	श्री संदीप कुमार	रा0आ0चि0 सिमलगाँव अल्मोड़ा	आयुष विंग (महिला) जिला चिकित्सालय नैनीताल	जनहित में धारा-10(क)
7	श्रीमती सुषमा तिनसोला	रा0आ0चि0 लंगासू, चमोली	रा0आ0चि0 विधान सभा देहरादून	जनहित में धारा-10(क)
8	श्री भूपेन्द्र सिंह	रा0आ0चि0 टिम्मर, चमोली	आ0आ0म0 लक्ष्मीनगर उधमसिंहनगर	जनहित में धारा-10(क)
9	श्री विपिन सिंह	रा0आ0चि0 मजियाखेत, वागेश्वर	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अल्मोड़ा	जनहित में धारा-10(क)

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिक धारा-22(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धि जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक